तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 245/2025 (2025/588) अनवान चुनाराम बनाम पुखराज वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम मोड़ी पटवार मण्डल सतलाना तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 305/2 की कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज काश्त है। प्रार्थी अपने उपरोक्त कृषि भूमि को आवाराम पशुओं से सुरक्षा हेतु पत्थर रोपकर तारबन्दी करवाना चाहता है जिस हेतु प्रार्थी ने राजस्व नक्शे में दर्ज प्रार्थी के नाम से खातेदारी रकबे अनुसार सीमाज्ञान करवाना चाहा गया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन द्वारा अप्रार्थी के उक्त खसरे की कृषि भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाने दिया गया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार हैं तथा अप्रार्थी संख्या एक के नाम से खसरा संख्या 305/4 एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या दो से तीन की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 305/3 है। प्रार्थी की इन अप्रार्थीगण के लगने वाली माठ के सम्बन्ध में ही अप्रार्थीगण द्वारा अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति पैदा कर दी गयी है एवं सीमाज्ञान नहीं करवाने दिया जा रहा है जिससे की प्रार्थी अपने खेत की माठ जो कि खसरा संख्या 305/3 एवं 305/4 के लगती हुई है उसकी पत्थरगढी की तारबन्दी नहीं करवा पा रहा है। प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने हेतु निवेदन भी किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया। स्थायी मुटाम के अभाव में प्रार्थी के खसरे की सीमाऐं जो कि खसरा संख्या 305/3 एवं 305/4 के लगती हुई है उसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः ग्राम मोडी पटवार हल्का सतलाना तहसील लूणी के खसरा संख्या 305/2 की कृषि भूमि जो कि खसरा संख्या 305/3 एवं 305/4 के चिपती हुई माठ है उस माठ की राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान कर पुलिस जाब्ते के साथ पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या एक से तीन की और से कोई उपस्थित नही है। पत्रावली पर अधिवक्ता की बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि अप्रार्थी को सूचित करते हुए खसरा संख्या 305/2 मोडी का सीमाकन करके बाद सीमांकन यदि कब्जे का कोई विवाद नही हो तो पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश तहसीलदार लूणी को दिया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	